

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 76 / 2007

तारीख रजु 11.06.2007

उनवान

गिरधारी पुत्र पून्या वगै० जाति जाट निवासी खीप का पुरा तहसील हिण्डौन  
जिला करौली

वादीगण 12

बनाम

मुथरी बेवा नन्दूराम वगै० जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी  
जिला करौली

प्रतिवादीगण 03

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 13.10.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा स्थित ग्राम खीप का पुरा तहसील हिण्डौन के खसरा न. 2774, 2775 व 2777 में दावा बावत् डिक्लेरेशन व इन्द्राज दुरुस्ती व हुक्म ईतनाईदवामी का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। बार-बार आवाज के उपरांत भी वकील वादीगण तथा प्रतिवादीगण पक्ष अनुपस्थित रहा प्रकरण में वादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 76/2007 गिरधारी वगै० बनाम मुथरी वगै० अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन